न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 76/2021, जिला दौसा

1. शांति पुत्री लादूराम पत्नी राम कल्याण जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बिहारीपुरा तहसील व जिला दौसा हाल निवासी ग्राम सरपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर (राज.)

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. केला पुत्री लादूराम पत्नी राधेश्याम जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ढाम तहसील व जिला दौसा।
2. विमला पुत्री लादूराम पत्नी मूल चंद जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ढाम तहसील व जिला दौसा।
3. तहसीलदार तहसील दौसा राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 18.08.2006 प्रकरण रिमाण्ड नामान्तरकरण पत्रावली उनवानी शांति बनाम केला ग्राम बिहारीपुरा

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट संदीप शर्मा ।
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —25.07.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 18.08.2006 के खिलाफ प्रस्तुत प्रा. पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा के खाता संख्या 21 में भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 2.42 हैक्टेयर, 286 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 287 रकबा 2.14 हैक्टेयर, 347 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 348 रकबा 1.15 हैक्टेयर, 353 रकबा 0.71 हैक्टेयर किता 6 रकबा 7.06 हैक्टेयर है। खाता संख्या 18 में भूमि खसरा नम्बर 355 रकबा 0.15 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसकी खातेदारी लादूराम पुत्र रूघनाथ जाति हरियाणा ब्राहमण के नाम से थी। लादूराम के 3 पुत्रियां केला, विमला, शान्ति थी। लादूराम की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण सिर्फ केला के नाम खोल दिया गया । जिसकी अपील अपीलांट शांति द्वारा जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी के यहॉ की गई। दिनांक 12.06.1995 को जिला कलक्टर ने अपील स्वीकार कर रिमाण्ड कर दिया गया। दिनांक 28.02.2004 को उपखण्ड अधिकारी दौसा ने जांच कर पत्रावली वापस तहसीलदार को रिमाण्ड कर दी। दिनांक 18.08.2006 को तहसीलदार दौसा ने सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर कैम्प बिहारीपुरा के आदेश दिनांक 22.11.1982 को बहाल रखा जाकर प्रकरण क्षेत्राधिकार का नहीं होने के आदेश पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 28.02.2004 को तहसीलदार दौसा की दोनां पक्षों की सुनवाई की जाकर निर्णय करने हेतु तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। तहसीलदार दौसा ने निर्णय 18.08.2006 द्वारा सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर कैम्प बिहारीपुरा के आदेश दिनांक 22.11.1982 को बहाल रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

Scanned by CamScanner

तहसीलदार दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 18.08.2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट शांति पुत्री लादूराम पत्नी राम कल्याण द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 18.08.2006 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता उप.। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील यह कहते हुये प्रस्तुत की थी कि जिला कलेक्टर दौसा एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा ने प्रकरण में जांच करने के बाद स्पष्ट पाया है कि मृतक लादूराम के तीन उत्तराधिकारी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 जीवित है तथा तीनों मृतक की पुत्रियां होने से लादूराम की प्राकृतिक व काननून वारिस है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने भी अपने बयानों में उपखण्ड अधिकारी दौसा के न्यायालय में यह स्वीकार किया है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 मृतक लादूराम की पुत्रीयां है। लेकिन तहसीलदार दौसा के उपखण्ड अधिकारी दौसा के विनिश्चय के उपरान्त भी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलांट को मृतक राधेश्याम का उत्तराधिकारी न मानने में तथ्यात्मक व काननी भूल की है। मामला विरासत का है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 मृतक लादूराम की खास पुत्रियां है तथा उसकी संपत्ति के वारिसान है। अपीलांट का अपने पिता की भूमि पर अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है। वैसे भी कानूनन एवं उत्तराधिकारी का कब्जा सभी उत्तराधिकार का कब्जा होता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से कानून की धज्जियां उडाते हुये मात्र रेस्पोडेन्ट नं. 1 को अपने पिता का वारिस मानने का आदेश गैर कानूनी रूप से पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 अपने ससुराल गांव ढाय में रहती है। भूमि पर अपीलांट का अपने हिस्से पर कब्जा है। यदि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर कोई कब्जा बाबत रिपोर्ट भी तैयार करवा ली है तो विरासत के नामान्तरकरण में पटवारी की रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रखती है। तहसीलदार दौसा ने भी मोहरी देवी के बयानों का उल्लेख किया है लेकिन मोहरी देवी का कोई बयान नहीं हुआ और ना ही किसी भी पक्ष ने मृतक लादूराम के तीन पुत्रियों अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 का नहीं होना कहा है। स्वंय केला ने अपने बयानों में तीन बहिने होना स्वीकार किया है। इन सब स्वीकृत तथ्यों के बावजूद में तहसीलदार दौसा ने रिकार्ड व कानूनी प्रावधान के विपरीत जाकर मृतक लादूराम के तीन पुत्रीयों के नाम नामान्तरकरण स्वीकार करने का आदेश न देकर मात्र एक पुत्री रेस्पोंडेन्ट नं. 1 के हक में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 22.11.82 को बहाल करने का आदेश पारित कर दिया गया। जब सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कैम्प बिहारीपुरा का आदेश दिनांक 22.11.82 जिला कलेक्टर द्वारा निरस्त किया जा चुका है, तो वह अस्तित्व में ही नही रहा है। तहसीलदार दौसा द्वारा उक्त आदेश को वापस बहाल करने का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर दिया है। तहसीलदार को निरस्त किये हुये आदेश को बहाल करने का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर दिया है। तहसीलदार को निरस्त किये हुये आदेश को बहाल करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि तहसीलदार, जिला कलेक्टर का अपील अधिकारी नहीं है। तहसीदार दौसा को तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई जांच व दिये गये आदेश की पालना में नियमानुसार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 के हक में नामान्तरकरण भरकर पेश करने व नामान्तरकरण स्वीकार करने का आदेश ही देना था। लेकिन ऐसा आदेश न देकर तहसीलदार दौसा ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। अतः आदेश तहसीलदार दौसा निरस्त किये जाने योग्य है। लादूराम की खातेदारी की भूमि ग्राम सरपुरा तह. जमवारामगढ में भी स्थित है। जिसकी खातेदारी में लादूराम की मृत्यु के उपरान्त उसकी तीनो पुत्रियां अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 के नामान्तरकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

खुलकर दर्ज हो गया है। यह दस्तावेज रिकार्ड पर है तथा तहसीलदार जी के निर्णय में भी दर्ज है। फिर लादूराम की भूमि स्थित ग्राम बिहारीपुरा का नामान्तरकरण तीनों पुत्रियों के नाम नहीं खोला जा सकता यह विरोधी भाषी निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अपीलांट ने श्री रामदयाल एडवोकेट को अपील नियुक्त कर रखा था व उन्हें हिदायत पैरवी कर रखी थी। उक्त श्री रामदयाल शर्मा ने अपीलांट को यह कह दिया था कि अपीलांट को हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलांट को हर पेशी पर उपस्थित नहीं आयी। दिनांक 22.09.06 को अपीलांट के पति दौसा आये तथा श्री रामदयाल शर्मा जी एडवोकेट को तलाश किया तो पता चला कि रामदयाल जी वकील साहब क भाई हद्य रोग से गंभीर बीमार है। श्री रामदयाल शर्मा जी उन्हें इलाज हेतु लेकर जयपुर व दिल्ली गये हुये है। प्रार्थीया अपीलांट गत डेढ माह से बुखार उल्टी दस्त से गंभीर बीमार होने के कारण दौसा आकर वकील साहब से संपर्क नहीं कर सकी और न ही पेशियों पर उपस्थित आ सकी । वकील साहब भी भाई की बीमारी के कारण कई दिनों से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहे हैं। वकील साहब ने पेशी व निर्णयों की सूचना नहीं दी। अपीलांट के पति ने दिनांक 22.09.2006 को तहसील दौसा में जाकर तलाश किया तो पता चला कि प्रकरण में तहसीलदार जी दौसा ने दिनांक 18.08.2006 की तारीख में निर्णय कर दिया है। इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 22.09.2006 को ही नकल हेतु प्रार्थना पत्र पति के जरिये पेश करायी। जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त हो गई। पूर्व में आक्षेपित आदेश की अपील माननीय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष पेश कर दी गयी थी जो कि दिनांक 17.11.08 द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज फरमा दी गयी थी। पूर्व में अपीलार्थी द्वारा त्रुटिवश अपील माननीय न्यायालय में पेश नही की जा सकी थी। तत्पश्चात अपीलार्थी बीमार हो गयी। न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील पेश करने में हुयी देरी सद्भाविक है जिस कारण यह अपील 13.02.2009 को प्रस्तुत की गयी है। इस कारण यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने में हुयी देरी को माफ फरमाया जाकर अपील विधिवत निस्तारण हेतु सुने जाने के आदेश पारित किये जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा निर्णय दिनांक 18.08.2006 निरस्त फरमाया जावे तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिया जावे कि वह अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि स्थित ग्राम बिहारीपुरा तहसील दौसा का नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 के हक में दर्ज करने का आदेश देते हुए नामान्तरकरण अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से में स्वीकार करें एवं न्यायालय तहसीलदार दौसा जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2006 को खारिज फरमाया जावे।

7. रेस्पोडेन्ट नं. 3 राजकीय अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 28.02.2004 को तहसीलदार दौसा को दोनों पक्षों को सुनवाई की जाकर निर्णय करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 कैला देवी की ओर से उपखण्ड अधिकारी दौसा के न्यायालय में प्रार्थीया कैला की दादी मोहरी देवी के बयानों में ग्राम बिहारीपुरा की कृषि भूमि प्रार्थीया कैला देवी के नाम करने एवं सरपुरा की कृषि भूमि तीनों लडकियों के नाम करने हेतु बयानों में कहा है। तहसीदार दौसा के निर्णय दिनांक 18.08.2006 की पालना में पटवारी हल्का से जांच करवायी गयी जिसमें पटवारी ने अंकित किया गया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम बिहारीपुरा की कृषि भूमि कैला पुत्री लादू पत्नि राधेश्याम के नाम दर्ज तथा इस भूमि पर कैला का ही कब्जा है तथा पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट के साथ सरपुरा की जमाबंदी भी पेश की जिसमें तीनों लडकियों, कैला, शान्ति व कमला के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 कैला देवी विवाह के पश्चात से ही अपने पिता के साथ रहती है और उनकी सेवा की है तथा ग्राम बिहारीपुरा की भूमि पर उनका ही कब्जा चला आ रहा है। प्रथम दृष्टया केस कैला के पक्ष में जाता है। तहसीलदार दौसा ने निर्णय 18.08.2006 द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर कैम्प बिहारीपुरा के आदेश दिनांक 22.11.1982 को बहाल रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

8. प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने आक्षेपित आदेश की अपील माननीय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष पेश कर गयी थी जो कि दिनांक 17.11.08 द्वारा क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर खारिज फरमा दी गयी थी। तब अपीलार्थी की जानकारी में आया था कि आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त जयपुर में पेश की जानी थी। पूर्व में अपीलार्थी द्वारा त्रुटिवश अपील माननीय न्यायालय में पेश नहीं की जा सकी थी। तत्श्चात अपीलार्थी बीमार हो गयी। जिसके कारण अपील पेश करने मे देरी होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद वस्तुतः वाद में आराजी विवादित ग्राम बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा के खाता संख्या 21 में भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 2.42 हैक्टेयर, 286 रकबा 0.44 हैक्टेयर, 287 रकबा 2.14 हैक्टेयर, 347 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 348 रकबा 1.15 हैक्टेयर, 353 रकबा 0.71 हैक्टेयर किता 6 रकबा 7.06 हैक्टेयर है। खाता संख्या 18 में भूमि खसरा नम्बर 355 रकबा 0.15 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसकी खातेदारी लादूराम पुत्र रूघनाथ जाति हरियाणा ब्राहमण के नाम से थी। लादूराम के 3 पुत्रियां केला, विमला, शान्ति थी। लादूराम की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण सिर्फ केला के नाम खोल दिया गया। जिससे व्यथित होकर शांति पुत्री लादूराम ने उपखण्ड अधिकारी दौसा में अपील प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 28.02.2004 के जरिये अपील स्वीकार की, कि मृतक के तीन पुत्रियां है। मृतक की खातेदारी भूमि में उसके फौत होने के बाद उसकी समस्त सन्तानों का बराबर हक बनता है अतः प्रकरण तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड किया जाकर यह निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने स्तर पर अग्रिम कार्यवाही करें। जिस पर न्यायालय तहसीलदार दौसा जिला दौसा ने पुनः जांच कर यह आदेश पारित किया गया कि प्रार्थीया कैला देवी विवाह के पश्चात से ही अपने पिता के साथ रहती आयी है और उनकी सेवा की तथा ग्राम बिहारीपुरा की भूमि पर उनका ही कब्जा चला आ रहा है। प्रथम दृष्टया केस कैला के पक्ष में जाता है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर कैम्प बिहारीपुरा के आदेश दिनांक 22.11.1982 को बहाल रखा जाता है। क्योंकि यह प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है के आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट शांति पुत्री लादूराम द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में की गई है। यह स्वीकृत तथ्य है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम बिहारीपुरा की कृषि भूमि लादूराम पुत्र रूगनाथ के नाम से दर्ज रही है। जिससे साबित है कि आराजी भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि रही है। तहसीलदार दौसा को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत मृतक की खातेदारी की भूमि में उसके फौत होने के बाद उसकी समस्त सन्तानों का बराबर हक बनता है। प्रकरण तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड कर अपने स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने पर इसकी अनुपालना में तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2006 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है कि प्रथम दृष्टया केस रेस्पोडेन्ट नं. 1 कैला के पक्ष में जाता है, सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर कैम्प बिहारीपुरा के आदेश दिनांक 22.11.1982 को बहाल रखे जाने के आदेश दिया जाता है। क्योंकि यह प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, के आधार पर अपील खारिज कर दी, जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं है। हमारा विनम्र मत है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट, साक्ष्य सबूत व शपथ–पत्र एवं मृतक के विधिक वारिसान की जांच की जाकर विरासत का नामान्तरकरण लादूराम की तीनों पुत्रियों केला, कमला, संतोष उर्फ शान्ति के नाम बराबर हक तस्दीक किये जाने चाहिये था, जो कि केवल रेस्पोडेन्ट नं. 1 केला के नाम खोला गया था। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2006 में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

पारित करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर दोनों पक्षों को सुनकर मृतक लादूराम की विरासत का नामान्तरकरण उनकी विधिक वारिसानों की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने चाहिये थे। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 18.08.2006 निरस्त किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/7/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner